

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

पक्षकारों के हितों पर केंद्रित सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था हेतु
मुकदमों की सुनवाई के आवंटन और लिस्टिंग की नवीन योजना

क्या आप जानते हैं कि :-

- पारदर्शी और जवाबदेय सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली हेतु दिनांक 06/12/2013 से प्रकरणों की सुनवाई हेतु नवीन लिस्टिंग प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे प्रकरणों की सुनवाई में एकरूपता एवं सुनिश्चितता प्रकट हो सके।
 - इस प्रणाली में विधि के समक्ष समानता एवं 'प्रथम आये प्रथम पाये' के सिद्धांतों को अपनाया गया है।
 - सुनवाई हेतु प्रकरणों को नियत करने की नीतिगत अभैद्य प्राथमिकता निम्नानुसार है:-
 (अ) सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा नियत दिनांक वाले प्रकरणों कों सूचीबद्ध किया जाता है।
 (ब) उसके पश्चात् मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 के अनुसार नियत होने वाले प्रकरण, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जमानत एवं सजा के निलंबन संबंधी प्रकरण तथा एकपक्षीय अंतरिम आदेश हटाये जाने संबंधी प्रकरण शामिल है, निश्चित तौर पर अधिसूचित किये जाते हैं।
 (स) इसके साथ ही रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा प्राधिकृत कम्प्यूटर जनित दिनांक के प्रकरणों को भी सूचीबद्ध किया जाता है।
 (द) उसके पश्चात् प्रत्येक पीठ के लिए नियत की गयी संख्या के आधार पर, यदि निर्धारित सीमा के अंदर स्थान उपलब्ध हो तो, कम्प्यूटर जनित दिनांकित प्रकरणों को उक्त सीमा में रहते हुए नियत किया जाता है।
 - यह प्रणाली कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या, उपलब्ध अन्य मानव संसाधन, बेहतर समय प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर आधारित है, जिससे अवशेष बहुमूल्य न्यायिक समय का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई हेतु किया जा रहा है।
 - इसका उद्देश्य शीघ्र न्याय प्रदान किये जाने एवं सुनवाई की परिस्थितियों को अवगत कराये जाने के साथ ही सुनवाई में हो रहे विलंब के औचित्य को भी स्पष्ट किया जाना है।
 - नवीन लिस्टिंग प्रक्रिया में प्रारंभिक सुनवाई हेतु नियत किसी भी प्रकृति का प्रकरण अ-दिनांकित नहीं रहता है।
 - अंतिम सुनवाई योग्य प्रकरणों की समेकित त्रैमासिक सूची और उसी में से सुनवाई हेतु प्रकरणों की साप्ताहिक सूची तैयार की जाती है।
 - प्रक्रिया में अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों में प्रातः 10:30—11:30 के मध्य ज्ञापन/आवेदन रजिस्ट्रार के जरिए प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
 - प्रतिदिन सुनवाई हेतु नियत होने और न होने वाले प्रकरणों की संख्या की स्पष्ट जानकारी प्रत्येक सप्ताह की ऐसे प्रकरणों की तालिका में दी जाती है, जिसका अलग से रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवं रजिस्ट्रार (IT) द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।
 - नये दायर किये गये प्रकरणों में प्रक्रिया संबंधित त्रुटि (Default) की जानकारी पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ई-मेल पर स्वजनित एस.एम.एस./ई-मेल द्वारा दी जा रही है एवं इसी प्रकार की सुविधाएं प्रकरणों की लिस्टिंग के सम्बन्ध में भी दी जाएंगी।
 - त्रुटिवश किसी प्रकरण के अधिसूचित न होने पर संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता द्वारा जानकारी दिये जाने पर सुधार के लिये शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था रजिस्ट्रार (न्यायिक-II) के समक्ष की गई है।
 - पक्षकार/अधिवक्ता/अन्य व्यक्ति अपने मुकदमों के अधिसूचित होने या न होने की जानकारी अथवा केस स्टेटस रिपोर्ट किसी भी स्थान से म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.mphc.in एवं उच्च न्यायालय परिसरों में स्थापित कियोस्क से प्राप्त कर सकते हैं।
 - ऑनलाईन डिस्प्ले बोर्ड एंड्राईड एप्लीकेशन म.प्र. उच्च न्यायालय की उक्त वेबसाइट से डाऊनलोड कर अपने एंड्राईड मोबाइल फोन के जरिए प्रकरण की न्यायालय में हो रही सुनवाई की वास्तविक समय आधारित (Real Time) जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- सदैव पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये कृत—संकल्प।